

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 401/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

जुना मुन्डा
गोपाल मुन्डा

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

18.07.20

आदेश

आवेदक जुना मुन्डा पिता स्व० पण्डेया मुन्डा ग्राम-अनिगड़ा, थाना खूँटी जिला खूँटी ने गोपाल मुन्डा पिता श्री धिरजु मुन्डा ग्राम-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
अनिगड़ा	73	28	598	0.09½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपरिथत हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1509724409 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 554 दिनांक 14.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुकना मुन्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार बुकन मुन्डा वगैराह के नाम भूमि का रकबा 25.86 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.71 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 27024.00(सत्ताईस हजार चौबीस)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिरसेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.61½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिरसे की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जुना मुन्डा पिता स्व० पण्डेया मुन्डा को गोपाल मुन्डा पिता श्री धिरजु मुन्डा के साथ ग्राम अनिगड़ा के खाता सं० 28 खेसरा संख्या 598 कुल रकबा 0.09½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 27024.00(सत्ताईस हजार चौबीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।